न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 14/2015

1. रतनसिंह
2. लखनसिंह
3. अमरसिंह
4. तेजसिंह

} पिसरान दुर्गाप्रसाद

5. कुवरसिंह
6. गोपालसिंह

} पुत्रान रामजीलाल

} जाति माली निवासी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

........अपीलान्टान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना।
2. अधिशाषी अधिकारी प्रभारी नगर पालिका बयाना।

........रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 09.04.2003 तहसीलदार बयाना बाबत इन्तकाल नम्बर 1580 वाकै कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थित :– 1–श्री तालेराम, अभिभाषक अपीलान्टान
2–राजकीय अभिभाषक रैस्पो0 सं0 1
3–श्री धर्मेन्द्र प्रजापति, अभिभाषक रैस्पो0 सं0 2

निर्णय

दिनांक : 28.01.2021

अपीलान्टान ने यह अपील विरुद्ध रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 09.03.2003 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में हुकमन नामान्तरकरण संख्या 1580 वाकै कस्बा बयाना स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1580 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई। बकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं खिलाफ मौका है जो काबिल मंसूखी के है। साविक आराजी खसरा नम्बर 806 रकवा 7 वीघा 1 विस्वा वाकै कस्वा बयाना में स्थित है। साविक खसरा नम्बर 806 से बन्दोबस्त विभाग ने हाल खसरा नम्बर 1605 रकवा 4 एयर एवं 1606 रकवा 7 एयर बनाया है। संवत 2012 से विवादित आराजी पर अपीलान्टान का कब्जा आज तक चला आ रहा है। यह खसरा नम्बर अन्य खसरा नम्बरों से मिला हुआ है जो अपीलान्टान के पिता दुर्गा एवं रामजीलाल की खुदकाश्त खेवट का नम्बर जो अपीलान्टान के कब्जे में है। विवादित आराजी में आज भी काश्त हो रही है, इसके आसपास कोई आवादी नहीं है फिर भी नगर पालिका बयाना के नाम किया है जो कतई गलत है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्टान को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी, अपीलान्टान को दिनांक 01.08.2014 को पटवारी हल्का के बतलाने पर जानकारी हुई। नकल मिलने से अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है जिसे कण्डोन करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम अलग से पेश है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत व मौका के अनुरूप है जो काबिल मंसूखी नहीं है। विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1605/0.04 व 1606/0.07 एयर पर अपीलान्टान काबिज खातेदार काश्तकार नहीं है, उक्त खसरा नम्बरान पर रैस्पो0 संख्या 2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार है। अपीलान्टान ने तत्समय कोई आपत्ति पेश नहीं की। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित आराजी नगर पालिका बयाना मिलकियत है जो आबादी में है जिस पर कोई काश्त नहीं हो रही है। विवादित आराजी राजस्व विभाग द्वारा विधिवत रूप से नोटिफिकेशन कर तथा कोई उज्र नहीं आने पर नगर पालिका बयाना को सुपुर्द की गई है अपीलान्टान यह कहना कतई गलत है कि उन्हे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्टान को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर [illegible] गई रैस्पो० की तलबी की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं खिलाफ मौका है जो काबिल मंसूखी के है। साविक आराजी खसरा नम्बर 806 रकवा 7 बीघा 1 बिस्वा वाकै कस्बा बयाना में स्थित है। साविक खसरा नम्बर 806 से बन्दोबस्त विभाग ने हाल खसरा नम्बर 1605 रकवा 4 एयर एवं 1606 रकवा 7 एयर बनाया है। संवत 2012 से विवादित आराजी पर अपीलान्टान का कब्जा आज तक चला आ रहा है। यह खसरा नम्बर अन्य खसरा नम्बरों से मिला हुआ है जो अपीलान्टान के पिता दुर्गा एवं रामजीलाल की खुदकाश्त खेवट का नम्बर जो अपीलान्टान के कब्जे में है। विवादित में आज भी काश्त हो रही है, इसके आसपास कोई आवादी नहीं है फिर भी नगर पालिका बयाना के नाम किया है जो कतई गलत है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्टान को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी, अपीलान्टान को दिनांक 01.08.2014 को पटवारी हल्का के बतलाने पर जानकारी हुई। नकल मिलने से अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है जिसे कण्डोन करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम अलग से पेश है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक रैस्पो० ने अपने तर्को मे जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत व मौका के अनुरूप है जो काबिल मंसूखी नही है। विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1605 / 0.04 व 1606 / 0.07 एयर पर अपीलान्टान काबिज खातेदार काश्तकार नहीं है, उक्त खसरा नम्बरान पर रैस्पो० संख्या 2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार है। अपीलान्टान ने तत्समय कोई आपत्ति पेश नही की। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित आराजी नगर पालिका बयाना मिलकियत है जो आबादी मे है जिस पर कोई काश्त नहीं हो रही है। विवादित आराजी राजस्व विभाग द्वारा विधिवत रूप से नोटिफिकेशन कर तथा कोई उज्र नहीं आने पर नगर पालिका बयाना को सुपुर्द की गई है अपीलान्टान यह कहना कतई गलत है कि उन्हे सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। अपीलान्टान को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी

[illegible] जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

रही है। अपीलान्टान का यह कहना कतई गलत है कि दिनांक 01.08.2014 को पटवारी हल्का से जानकारी हुई है। अपीलान्टान ने अपील देरीना से पेश की है। अन्त में वकील रैस्पो० द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2003 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1580 दिनांक 09.04.2003 बाकै कस्बा बयाना तहसील बयाना का अवलोकन किया गया है। अपीलाधीन ओदश नामान्तरकरण संख्या 1580 के कॉलम संख्या 14 व 16 में हो रहे इन्द्राजों से स्पष्ट है कि यह नामान्तरकरण तहसील कार्यालय के आदेश कमांक/भूअ./रिकार्ड/03/1436–39 दिनांक 02.04.2003 की अनुपालना में खोला जाकर रैस्पो० के हक में स्वीकार किया गया है। अपीलान्टान के द्वारा आदेश कमांक/भूअ./रिकार्ड/ 03/1436–39 दिनांक 02.04.2003 की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की है। नकल मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि आ.ख.न. गत 806 रकवा 7 बीघा 1 विस्वा से हाल न. 1605 (4 एयर) 1606 (6एयर) बने है। अपीलान्ट ने आ.ख.न. 806 पर संवत 2012 से ही कब्जा होना एवं खुदकाश्त दर्ज होने का कथन किया है। परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड उक्त कथन की पुष्टि हेतु मौजूद नहीं है। अपीलान्ट विवादित आराजी खसरा नम्वर पर अपना अधिकार /खातेदारी घोषणा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरकरण में कोई त्रुटि हम नहीं पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि:–

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)